न्यायालय– समाहर्त्ता, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–01/2014

छोटेलाल गुप्ता बनाम राज्य

– :: आदेश :: –

29-1-14

प्रशासनिक कार्य की व्यस्तता के कारण आदेश विलम्ब से पारित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी छोटेलाल गुप्ता, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, भेलवा, प्रखंड–सत्तर कटैया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 64–2 दिनांक 25.01.2014 द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है

अपीलार्थी के विरूद्ध निम्नांकित आरोप है –

01. दिनांक – 17.10.2013 को सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के औचक निरीक्षण के क्रम में बीपीएल भंडार पंजी दिनांक 13.06.2013 तक एवं वितरण पंजी दिनांक 04.06.2013 अन्त्योदय भंडार पंजी दिनांक 09.06.2013 तक एवं वितरण पंजी 30.05.2013 तक ही संधारित पाया गया। इस प्रकार माह मई 2013 के बाद खाद्यान्न का वितरण पंजी का संधारण नहीं किया गया है। किरासन तेल वितरण पंजी मई 2013 के बाद संधारित नहीं पाया गया।
02. माह जून 2013 एवं जुलाई 2013 के लिए बीपीएल खाद्यान्न 56.90 क्वींटल एवं 56.60 क्वींटल खाद्यान्न का उठाव किया गया है, जिसे एवज में माह जून 2013 का भुगतानसूदा कूपन गेहूँ 404 तथा माह जुलाई तथा माह जुलाई 2013 का 409 प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार दोनों माह का मिलाकर गेहूँ कुल 113.50 क्वींटल का उठाव किया गया तथा मात्र गेहूँ का प्रस्तुत भुगतानसूदा कूपन 813 के अनुसार 81.36 क्वींटल गेहूँ का वितरण किया गया है, जबकि भंडार में पूर्व का अवशेष गेहूँ 6.90 क्वींटल को मिलाकर कुल 39.10 क्वींटल होना चाहिए था, जबकि भंडार में गेहूँ का अवशेष स्टॉक 60 किलोग्राम ही पाया गया।
03. माह जून एवं जुलाई 2013 के लिए बीपीएल योजनान्तर्गत 101.42 क्वींटल चावल एक साथ दोनों माह का किया गया है, जिसके एवज में चावल का भुगतानसूदा कुपन माह जून एवं जुलाई 2013 कुल 815 कुपन प्रस्तुत किया गया, जो उठाव किये गये खाद्यान्न तथा पूर्व का अवशेष मात्रा 10.39 क्वींटल को मिलाकर 744 लाभुकों का ही खाद्यान्न था, जबकि 71 लाभुक का अधिक कुपन प्राप्त कर लिया गया है, जो नियम के बिरूद्ध है।
04. अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत माह जुन 2013 का गेहूँ 5.88 क्वींटल माह जुलाई 2013 का 7.70 क्वींटल तथा चावल माह जून एवं जुलाई 2013 का एक साथ 20.87 क्वींटल खाद्यान्न का उठाव किया गया। निरीक्षण के दौरान आपके द्वारा भुगतानसूदा कुपन गेहूँ माह जुन 2013 का 32 कुपन एवं जुलाई 2013 का 61 कुपन तथा चावल का माह जुन 2013 का 32 कुपन एवं जुलाई 2013 का 66 कुपन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कुपन के अनुसार दोनों माह का कुल खाद्यान्न का वितरण 13.02 क्वींटल गेहूँ तथा चावल 20.58 होता है। वितरण के पश्चात भंडार में पूर्व का अवशेष गेहूँ 8 किलोग्राम एवं चावल 19 किलोग्राम को मिलाकर गेहूँ 64 किलोग्राम एवं चावल 28 किलोग्राम अवशेष होना चाहिए। भंडार में दोनों योजनाओं को मिलाकर मात्र 60 किलोग्राम चावल गेहूँ एवं 1.00(एक) क्वींटलन चावल पाया गया।
05. दुकान से संबंधित वार्ड नं0–6 के 10 लाभुकों से पूछताछ करने पर उपस्थित लाभुकों/परिवार के सदस्यों ने बयान दिया कि उनलोगों से माह जुन, जुलाई एवं अगस्त 2013 का कुल छः लाल कुपन(गेहूँ एवं चावल) ले लिया गया है और 50(पचास) किलोग्राम चावल की आपूर्ति की गयी है। गेहूँ की आपूर्ति नहीं की गई है, जबकि पंजी के अनुसार माह जुन एवं जुलाई 2013 का खाद्यान्न का ही उठाव किया गया है। इससे स्पष्ट है कि माह अगस्त 2013 का खाद्यान्न उठाव करने के पश्चात इन उपभोक्ताओं के खाद्यान्न का विचलन करने की मंशा परिलक्षित होती है।

06. पूछताछ के क्रम में लाभुकों ने बयान दिया कि तीन माह का पीला कुपन लेकर 50 किलोग्राम खाद्यान्न दिया गया है, जिसके एवज में प्रत्येक लाभुकों से 225(दो सौ पच्चीस) रूपये लिया गया है। बीपीएल योजनान्तर्गत भी तीन माह का कुपन लेकर 580 किलोग्राम चावल की आपूर्ति की गई है। गेहूँ की आपूर्ति नहीं की गई है। 50 किलोग्राम चावल की कीमत बीपीएल लाभुकों से 400(चार सौ) रूपये वसूल किया गया है।

07. उपभोक्ताओं के बयान के अनुसार प्रत्येक माह में 2.75 लीटर किरासन तेल के बदले मात्र 2.50 लीटर किरासन तेल की आपूर्ति की गयी है, जिसके एवज में 50 रूपया लिया गया है।

08. निरीक्षक, माप तौल उपकरण का निरीक्षण प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में माप तौल की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं किया गया था तथा अवैद्य तरीके से माप तौल उपकरण का उपयोग किया जा रहा था। इस तरह बिना मुहरांकित माप तौल उपकरण से राशन एवं किरासन तेल की आपूर्ति करना निर्धारित मात्रा से कम तौलना परिलक्षित करता है।

09. जांच पदाधिकारी के पास कुछ दबंग आदमी को भेजकर कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया तथा महादलित उपभोक्ताओं पर दवाब बनाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा गलत तरीके से शपथ पत्र पर दवाब बनाकर बयान लिया गया है। इस प्रकार आपका यह व्यवहार अनुज्ञप्ति में निहित शर्तों का घोर उल्लंघन है।

उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन पत्र एवं दिनांक 16.09.2014 को समर्पित आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि (1) मैं बुढ़ा कम पढा लिखा विक्रेता हूँ। वितरण व्यवस्था में मेरा पुत्र मदद करता है जो निरीक्षण के तीन माह पूर्व से बीमार हो गया, जिसका ईलाज बाहर चल रहा था। चूंकि हिन्दुओं का महान पर्व दुर्गापूजा का समय था इसलिए उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए कुपन के आधार पर वितरण किया जा रहा था। वर्तमान में कुपन के आधार पर पंजी संधारित कर लिया गया है।

(2) इस संबंध में कहना है कि बीपीएल योजना का जून–13 का 56.90 क्वीं0 एवं जुलाई–13 के लिए 56.60 क्वींटल कुल 113.50 क्वींटल गेहूँ का उठाव किया गया। पूर्व का भंडार 6.90 क्वींटल अवशेष था। इस प्रकार 120.40 क्वींटल गेहूँ का वितरण किया जा रहा था। वितरण के दौरान ही जांच हुआ। जांच पदाधिकारी द्वारा जांच के दिन का वितरित 813 कूपन ही देखा गया। पूर्व के दिन का वितरित 385 कूपन इनके द्वारा नहीं देखा गया। मेरे द्वारा 813+385 कुल 1198 कुपन सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सदर के कार्यालय में जमा भी करा दिया गया था।

जमा कूपन के आधार पर ही माह–अगस्त 2013 का उपावंटन हुआ है। इस प्रकार यह आरोप निराधार है।

(3) इस संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि दिनांक 28.08.13 को बीपीएल योजना का 101.23 क्वीं0 चावल का उठाव किया गया। इस प्रकार माह जून एवं जुलाई–13 के लिए कुल 168.25 क्वींटल चावल उठाव किया गया है। दोनों मात्रा भंडार पंजी में दर्ज है। जांच के दौरान जांच पदाधिकारी जानबूझकर गलत मंशा से जांच प्रतिवेदन में 67.02 क्वींटल चावल का जिक्र नहीं किया गया। इस प्रकार 71 कूपन अधिक लेने का आरोप गलत है। (साक्ष्य स्वरूप भंडार पंजी की छायाप्रति)

(4) इसी आरोप का जिक्र कंडिका–2 एवं 3 में है। अतः इसका उत्तर भी कंडिका–2 एवं 3 के अनुसार ही माना जाए।

(5) लगाये गये आरोप के संबंध में कहना है कि जांच पदाधिकारी द्वारा वर्णित बयानकर्त्ताओं ने शपथ पत्र के माध्यम से खाद्यान्न एवं किरासन तेल उचित कीमत एवं निर्धारित मात्रा में मिलने की बात स्वीकार किया जो मूल में मेरे द्वारा कारण पृच्छा के साथ संलग्न कर जमा किया जा चुका है। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया। इस प्रकार यह आरोप भी निराधार है।

(6) लगाये गये आरोप के संबंध में कहना है कि सभी बयान कर्त्ता द्वारा मेरे पक्ष में शपथ पत्र देकर कोई शिकायत नहीं होने तथा सभी सामग्री ससमय तथा उचित दर एवं मात्रा में मिलने की बात को स्वीकार किया जो शपथ नोटरी पब्लिक

एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष किया गया तथा समर्पित कारण पृच्छा के साथ संलग्न कर जमा किया गया जिसपर सहानुभूति विचार नहीं किया गया। इस प्रकार यह आरोप निराधार है।

(7) इस संबंध में कहना है कि सभी उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह 2.75 लीटर किरासन तेल का वितरण किया गया था। इस संबंध में भी लाभुकों द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से यह बयान दिया है कि किरासन तेल 2.75 लीटर उचित कीमत लेकर ही दिया गया है। खाद्यान्न भी समय पर उचित कीमत लेकर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति किया जाता है। विक्रेता से कोई शिकायत नहीं है। पूर्व में निरीक्षण के समय कोई बयान नहीं दिया गया। इस आशय का भी शपथ पत्र समर्पित किया गया, परंतु समर्पित कारण पृच्छा पर कोई विचार नहीं हुआ। इस प्रकार यह आरोप निराधार है।

(8) इस क्रम में कहना है कि मेरे पास माप तौल की अनुज्ञप्ति है। (छायाप्रति संलग्न)

(9) इस क्रम में कहना है कि एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपने पदाधिकारी के समक्ष क्या दबंगई दिखायेगा। यह आरोप मनगढ़त व बेबुनियाद है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूना। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आरोपकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत संचिका एवं आवेदन के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री छोटेलाल गुप्ता पर मुख्यतः चार आरोप है :–

(1) जांच के दौरान पाए गए कुपन से अधिक खाद्यान्न वितरण करने के संबंध में आवेदक का कथन है कि पूर्व के दिनों में वितरित कूपन नहीं देखा गया तथा इनके द्वारा सभी कुपन कार्यालय में जमा कर दिया गया है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता को अगस्त माह के लिए पूर्ण आवंटन दिया गया है। खाद्यान्न का आवंटन विगत माह के भुगतानसूदा कुपन के आधार पर दिया जाना है। इस प्रकार विक्रेता के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(2) खाद्यान्न आपूर्ति निर्धारित मात्रा से कम करने एवं अधिक दर लेने के संबंध में आवेदक द्वारा बयानकर्त्ताओं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का कथन है कि कुछ लोगों द्वारा बहला फुसला कर गरीब लोगों से गलत बयान कराया गया था। इस प्रकार यह आरोप भी प्रमाणित नहीं होता है।

(3)माप तौल विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं रहने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा माप–तौल विभाग द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह आरोप भी प्रमाणित नहीं होता है।

(4) जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा जांचकर्त्ता को डराने धमकाने संबंधी आरोप के पक्ष में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः यह आरोप भी प्रमाणित नहीं होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा के आदेश ज्ञापांक 64–2 दिनांक 25.01.2014 को निरस्त किया जाता है और अपीलार्थी का अपील स्वीकार किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 211-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 01 फरवरी, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।